संख्या- 33/651/24-1-14-1043(बजट)/2013

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक26 मार्च, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में फाइनेन्शियल रिस्ट्रक्चरिंग टर्न एराउण्ड प्लान के अनुसार वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को ब्याज के भुगतान हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0 को अंशपूँजी के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 792/पीएसडीएफ/2014, दिनांक 13.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में फाइनेन्शियल रिस्ट्रक्चरिंग टर्न एराउण्ड प्लान के अनुसार वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को ब्याज के भुगतान हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0 को अंशपूँजी हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 10,00,00,00,000/- (रूपये दस अरब मात्र) को स्वीकृत कर आहरति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष् 2013-14 में आपरेशनल लॉस की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरति धनराशि का सम्पूर्ण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्ष तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/ लखनऊ तथा वित्त/ ऊर्जा विभाग/, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेग।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-80- सामान्य-आयोजनेत्तर-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04-फाइनेन्शियल रिस्ट्रक्चरिंग एण्ड टर्न एराउण्ड प्लान-0401-वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को ब्याज के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0-64/दस-014, दिनांक 26 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- /651(1)/24-1-14, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

4' वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in